बिहार मानवाधिकार आयोग
9, बेली रोड, पटना

File No. BHRC/Suo-Motu 06/2019

(Suo Motu Cognizance)

23.07.2019

दिनांक–20 जुलाई,2019 को स्थानीय सभी समाचार–पत्रों में इस आशय का समाचार प्रकाशित हुआ है कि सारण जिले के वनियापुर थाना स्थित पिठौरी गांव के नंदलाल टोला में दिनांक–19 जुलाई, 2019 की देर रात्रि में ग्रामीणों ने मवेशी चोरी के आरोप में पीट–पीट कर, वनियापुर थाना के पैगंबरपुर गांव निवासी (1) 40वर्षीय नौशाद रसीद, (2) 30वर्षीय राजू नट तथा (3) 35वर्षीय वीरेश नट की हत्या कर दी गयी।

आयोग द्वारा 'मोब' लिंचिंग' की उक्त प्रतिवेदित घटना को गंभीरता से लेते हुए उस पर स्वतः संज्ञान लिया जाता है।

'मोब लिंचिंग' की उक्त घटना के संबंध में एक सप्ताह के अन्दर आयोग को प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा को निर्देश दिया जाता है।

स्थानीय समाचार–पत्रों में से एक ''दैनिक जागरण'' समाचार–पत्र में प्रकाशित उक्त समाचार की छाया–प्रति व आज पारित आदेश की प्रति को फैक्स के माध्यम से भी जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा को नोटिस भेजा जाय।

संचिका दिनांक– 09.08.2019 को उपस्थापित किया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक